

Founded on 31.10.1920

Founder President, Lala Lajpat Rai

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस All India Trade Union Congress

President : Ramendra Kumar, Ex. M.P.
Working President : H. Mahadevan

General Secretary : Amarjeet Kaur

Press Statement

The following press statement was released by National Secretariat of AITUC on 13.01.2022.

Central Government's Vi settlement is criminal

प्रेस वक्तव्य

निम्नलिखित प्रेस वक्तव्य एटक के राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा 13.01.2022 को जारी किया गया।

केंद्र सरकार का वीआइ समझौता अपराधिक है

केंद्र सरकार द्वारा वीआई (वोडाफोन आइडिया) से 16000 करोड़ रुपये के ब्याज को इक्विटी शेयरों में बदलने के संबंध में समाचार पत्रों (आईई 12.01.2022) में आने वाली रिपोर्टें चौंकाने वाली हैं।

यह ज्ञात था कि सरकार पर केवल समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के रूप में 58254 करोड़ रुपये बकाया है, साथ ही देर से भुगतान के लिए दंडात्मक ब्याज भी। ऑपरेटरों (वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस) ने एजीआर की परिभाषा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार की स्थिति "राजस्व" थी जिसमें सभी राजस्व शामिल थे, चाहे दूरसंचार सेवा से संबंधित हो अतः सुप्रीम कोर्ट ने 1.09.2020 को सरकार की स्थिति को बरकरार रखा था।

इसके बाद 1.09.2021 को सरकार द्वारा "बिग बैंग" सुधारों की घोषणा की गई। चार साल के अपराधी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा एजीआर बकाया के भुगतान पर स्थगन की अनुमति देना, टीएसपी चाहने वाले एजीआर

की परिभाषा में संभावित बदलाव और स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति देना! और टीपीएस को चार साल की मोहलत के दौरान एजीआर बकाया पर ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प भी दिया गया था! सभी टीएसपी ने साहसिक सुधारों की सराहना की (एक अनिच्छा से कह रहा था कि और अधिक किया जाना चाहिए था!)

अब केंद्र सरकार द्वारा 16000 करोड़ रुपये के वीआई के इक्विटी शेयर खरीदने की खबर आती है। शेयर सममूल्य पर यानी रु.10/- प्रत्येक की कीमत पर करीदे जायेंगे जबकी इनकी कीमत 14.08.2021 को सममूल्य से कम थी, जब उच्चतम न्यायालय ने कट-ऑफ तिथि निर्धारित की! इससे केंद्र सरकार के पास वीआई के 35.8% शेयर, वोडाफोन के पास 28.5% (45% से नीचे) और आदित्य बिड़ला समूह के पास 17.8% (लगभग 28% से नीचे) की हिस्सेदारी हो जाएगी। अब सरकार वीआई ऋण की देनदार भी हो जाएगी, जो कि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसके ऊपर समाचार आइटम की रिपोर्ट है कि वर्तमान प्रमोटर "शेयरधारक समझौते में संशोधन करने के लिए भी सहमत हुए हैं और न्यूनतम योग्यता शेयरधारिता सीमा को 21% से घटाकर 13% कर दिया जायेगा। इस प्रकार दोनों वोडाफोन और आदित्य बिड़ला समूह कंपनी के बारे में 'महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार अपने पास रखेंगे', जबकि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार के पास वीआई बोर्ड में अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा या नहीं।

इन टीएसपी के लिए यह उदारता क्यों, जब सरकार के अपने बीएसएनएल और एमटीएनएल भूख से मारा जरहा है? एक दिवालिया कंपनी के शेयर क्यों खरीदे जा रहे हैं जब सरकार इस सिद्धांत में विश्वास रखती है कि "कोई व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है"? करों के रूप में सरकार को जो बकाया है उसे क्यों छोड़ दिया जा रहा है और फिर कथित तौर पर नए बुनियादी ढांचे के लिए धन जुटाने के लिए राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी) जैसी कपटी योजना शुरू की जा रही है? क्या होगा अगर एनएमपी से निकलने वाली

सरकारी संपत्तियों को हड़पने वाले कॉर्पोरेट्स यह कहते हुए पलट जाएं कि हम सहमत लीज रेंट का भुगतान नहीं कर सकते हैं? क्या तब सरकार बेशर्मी से औ भी बड़े सुधार' घोषित करेगी?

ऐटक सरकार की ओर से इस सौदे की एक आपराधिक कृत्य के रूप में निंदा करता है। सरकार को इस तरह से करों को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है, जब हमारे असंख्य लोगों दयनीय जीवन स्थितियों से जूझ रहे हैं, हम मांग करते हैं कि सरकार इस जन-विरोधी कदम को वापस ले।

राष्ट्रीय सचिवालय-ऐटक

नई दिल्ली

संपर्क नंबर: 9810144958. 9869201422

ऐटक भवन

35-36, डी.डी.यू. मार्ग, राउज़ एवेन्यू,

नई दिल्ली-110002

ई-मेल: aituchq@gmail.com, aitucong@bol.net.in

टेलीफोन: 91-11-23217320, 91-11-23220264

फैक्स: 91-11-

23222427

केबल: "AITUCONG"